

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

कैम्प कोर्ट का स्थान - ग्राम नारायणपुर

प.न. 308/22

7/11/2021/408

उत्पल बकश
(प्रबन्ध)

-: आदेश:-


वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का नारायणपुर व भू.अ.नि. मन्दापु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कसारी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 2074 के खाता संख्या 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	ओदश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कसारी	48	श्री. किशन पुत्र खेमचन्द	खेमचन्द पुत्र श्री किशन

क्रमांक / 2021 / 1039-1041

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 01.12.2021


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी श्री को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोपाल शर्मा पुत्र खेमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कसारी तहसील कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
प्रार्थना - पत्र वास्ते लिपिकीय त्रुटी अशुद्ध को शुद्ध करने बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956		
राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर 308 / 2021		GCMS No. 2021/409
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	<p>नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p> <p><u>26/8/2021</u> वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना -पत्र वास्ते लिपिकीय त्रुटी अशुद्ध को शुद्ध करने बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटीस तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>कुचामन सिटी (नागौर)</u></p> <p><u>8/9/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अयकाश में बाहर पधारा हैं। अतः पत्रावली दिनांक 4-10-2021 को पेश हो।</p> <p><u>4/10/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अयकाश में बाहर पधारा हैं। अतः पत्रावली दिनांक 22-10-2021 को पेश हो।</p> <p><u>22/10/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अयकाश में बाहर पधारा हैं। अतः पत्रावली दिनांक 01-12-2021 को पेश हो।</p> <p><u>01/12/2021</u> पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अयकाश में बाहर पधारा हैं। अतः पत्रावली दिनांक 01-12-2021 को पेश हो।</p>	

